हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/09/2025 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 3/10/2025 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
3/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पेश हो। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 07/10/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
7/10/2025 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 17/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
17/10/2025 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 28/10/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
28/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। हमने बहस पर मनन किया। प्रा.पत्र, पत्रावली, जवाबदावा एवं तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन करने के आधार पर वादीगणान स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 28/10/25	

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बांदीकुई
जिला दौसा

प्रकरण संख्याः— 123/2025
प्रकरण दायर दिनांकः—19.06.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः—28.10.2025

उनवान

1. किस्तुरी देवी पत्नि स्व० रामप्रसाद
2. संध्या पुत्री स्व० रामप्रसाद
3. वंदना पुत्री स्व० रामप्रसाद
4. सुषमा पुत्री स्व० रामप्रसाद
5. प्रतीक पुत्र स्व० रामप्रसाद
6. अनुराग पुत्र स्व० रामप्रसाद

समस्त जाति बैरवा निवासी वार्ड नम्बर 2, आशापुरा बांदीकुई हाल निवासी ए—271, त्रिवेणी नगर, जयपुर राजस्थान ।

बनाम

1. रमेश पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी वार्ड नम्बर 2, आशापुरा बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान।

दावा उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का जरिये वकील श्री विश्म्भरदयाल के इस आशय से पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण का प्रतिवादी संख्या एक चाचाध्देवर है जिनकी पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम मुकरपुरा पटवार हल्का श्यालावासखुर्द भू अभि. नि. क्षेत्र श्यालावास कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 82 व पुराना 77 के आराजी खसरा नम्बर 201 रकबा 0.04 हैक्ट., खसरा नम्बर 202 रकबा 0.09 हैक्ट, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.19 हैक्ट., खसरा नम्बर 210 रकबा 0.18 हैक्ट., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.25 हैक्ट., खसरा नम्बर 212 रकबा 0.20, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.02 हैक्ट, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.17 हैक्ट, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.18 हैक्ट., खसरा नम्बर 217 रकबा 0.17 हैक्ट, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.18 हैक्ट., खसरा नम्बर 308 रकबा 0.11 हैक्ट., खसरा नम्बर 309 रकबा 0. 12 हैक्ट.,

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 310 रकबा 0.12 हैक्ट, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.12 हैक्ट, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 314 रकबा 0.42 हैक्ट., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.12 हैक्ट., खसरा नम्बर 317 रकबा 0. 10 हैक्ट, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.10 हैक्ट., खसरा नम्बर 319 रकबा 0.10 हैक्ट., खसरा नम्बर 320 रकबा 0.02 हैक्ट, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.08 हैक्ट., खसरा नम्बर 322 रकबा 0.02 हैक्ट, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.03 हैक्ट., कुल किता 27 कुल रकबा 3.13 हैक्ट. है कुल लगानी 37.64 पैसे है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 सहखातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित भुमि जो कि पैतृक भूमि थी जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के स्व० पिता रामसहाय की रही है। वादीगण के पिता/पति रामप्रसाद के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामसहाय पुत्र पांचू की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण भूमि में विरासत का नामान्तकरण संख्या 169 दिनांक 30.05.1992 को राजस्व कैम्प श्यालावास खुर्द के द्वारा खोला गया जिसमें वादीगण के पिता/पति स्व० रामप्रसाद पुत्र रामसहाय के बजाय रामप्रताप के नाम से नामानन्तकरण स्वीकृत हुआ। यह है कि वादीगण के पिता/पति का नाम रामप्रसाद है जबकि नामान्तकरण खोलते समय वादीगण के पिता/पति का नाम रामप्रसाद पुत्र रामसहाय के स्थान पर बोलता नाम रामप्रताप पुत्र रामसहाय के नाम से खोल दिया गया है जबकि वादीगण के पिता/पति रामप्रसाद ने विरासत के नामान्तकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत नही किया था वादीगण के पिता/पति रामप्रसाद सरकारी सेवा में होने के कारण अक्सर अपनी नोकरी के लिये बाहर ही रहता था तथा वादीगण के पिता/पति के अन्य भाईयों ने वादीगण बोलता नाम के पिता/पति का नाम रामप्रसाद के स्थान पर, रामप्रताप अमल करवा दिया। जबकि वादीगण के पिता/पति के समस्त दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र क्रमांक BLS/3836608 आयकर विभाग का पैन कार्ड नम्बर ABBPP7187P पीपीओ, मृत्यु प्रमाण पत्र कमांक सी–1831360 दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी तथा वादीगण के शैक्षणिक दस्तावेजात व आधार कार्ड राशन कार्ड में पिता/पति के नाम के स्थान पर रामप्रसाद नाम का अंकन है। वादीगण के पिता/पति को उक्त भूमि खाते में रामप्रसाद के स्थान पर रामप्रताप नाम खातेदारो में दर्ज होने की जानकारी नहीं रही है। ना ही कभी जरूरत पडी मौके पर वादीगण का भूमि में कब्जा काश्त है। वादीगण ग्राम आशापुरा के है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता/पति का सगा भाई है मेहनत मजदुरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। वादीगण के पिता/पति रामप्रसाद की मृत्यु दिनांक 15. 09.2011 को चुकी है वादीगण के पिता/पति की मृत्यु हो जाने पश्चात सारी जिम्मेदारी वादी संख्या एक पर आने से वादी संख्या एक को कभी भी अपने पति रामप्रसाद का भूमि में रामप्रताप होने की जानकारी नही रही है वादी संख्या एक अपने पुत्रों के साथ समय समय पर अपनी भूमि की देखभाल करने के लिये आती रही है तथा दिनांक 20.05. 2025 को भूमि में अपने नाम विरासत का नामानन्तकरण हेतु दस्तावेज निकलवाये तब रामप्रसाद के स्थान वादी संख्या एक के पति व वादी संख्या 2 लगायत 6 के पिता रामप्रसाद का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में रामप्रताप होने की जानकारी हुई। वादीगण ने अपने पिता/पति का राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में अपना नाम रामप्रताप के स्थान पर रामप्रसाद कि उदघोषणा करवाने के लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जाने अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 जो कि लेण्डहोल्डर है। एवं उनके द्वारा राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना है। जो कि आवश्यक पक्षकार के रूप में है। अतः वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन है कि निम्न अनुतोष पर वाद वादीगण के पक्ष में डिकी फरमाया जावे कि आराजी ग्राम मुकरपुरा पटवार हल्का

Scanned with OKEN Scanner

श्यालावासखुर्द भू अभि. नि. क्षेत्र श्यालावास कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 82 व पुराना 77 के आराजी खसरा नम्बर 201 रकबा 0.04 हैक्ट., खसरा नम्बर 202 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा नम्बर 209 रकबा 0.19 हैक्ट., खसरा नम्बर 210 रकबा 0.18 हैक्ट., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.25 हैक्ट., खसरा नम्बर 212 रकबा 0. 20, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 215 रकबा 0.17 हैक्ट., खसरा नम्बर 216 रकबा 0.18 हैक्ट, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.17 हैक्ट., खसरा नम्बर 218 रकबा 0.18 हैक्ट., खसरा नम्बर 308 रकबा 0.11 हैक्ट., खसरा नम्बर 309 रकबा 0.12 हैक्ट., खसरा नम्बर 310 रकबा 0. 12 हैक्ट., खसरा नम्बर 311 रकबा 0.12 हैक्ट, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 314 रकबा 0.42 हैक्ट., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.12 हैक्ट., खसरा नम्बर 317 रकबा 0.10 हैक्ट, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.10 हैक्ट, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.10 हैक्ट, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 321 रकबा 0.08 हैक्ट., खसरा नम्बर 322 रकबा 0.02 हैक्ट, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.03 हैक्ट. कुल किता 27 कुल रकबा 3.13 हैक्ट. है कुल लगानी 37.64 पैसे है जिसमें वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है। राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज चले आ रहे गलत नाम रामप्रताप को हजफ कर उसके स्थान पर वादीगण के पिता/पति के नाम रामप्रसाद की उदघोषणा करते हुये वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में रामप्रसाद पुत्र रामसहाय का नाम दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण को इस आशय से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वादीगण के पिता/पति की भूमि को गलत नाम दर्ज होने के आधार पर रहन बय करने से स्थाई रूप से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन से की गयी। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री भवानी सहाय एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा इस आशय से पेश किया है कि वादीगण के पिता/पति स्व0 रामप्रसाद मुझ प्रतिवादी का सगा भाई है जिसका स्वर्गवास हो चुका है मेरे भाई रामप्रसाद का ग्राम मुकरपुरा में स्थित पैतृक भूमि खाता संख्या नया 82 व पुराना 77 में मेरे भाई रामप्रसाद का विरासत से बोलता नाम रामप्रताप दर्ज है जो गलत है। मेरे भाई का नाम रामप्रसाद है तथा रामप्रताप नाम का हमारा कोई भाई नहीं है। अतः जवाब दावा स्वीकार किया जावें। प्रतिवादी संख्या 02 न्यायालय उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 09.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण की ओर से वाद की ताईद में किस्तूरी देवी पत्नि स्व0 रामप्रसाद, ज्ञानचंद मेहरा पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द मेहरा तथा रघुवीर पुत्र रामसहाय ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किये। तदुपरांत हमने वादीगण वकील एवं प्रतिवादी वकील की बहस सुनी। वादीगण वकील ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया कि राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज चले आ रहे गलत नाम रामप्रताप को हजफ कर उसके स्थान पर वादीगण के पिता/पति के नाम रामप्रसाद की उदघोषणा करते हुये वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में रामप्रसाद पुत्र रामसहाय का नाम दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण को इस आशय से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वादीगण के पिता/पति की भूमि को गलत नाम दर्ज होने के आधार पर रहन बय करने से स्थाई रूप से पाबन्द फरमाया जावें। एवं प्रतिवादी वकील द्वारा जबाब दावा में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। पत्रावली वादीगण साक्ष्य पर नियत की गयी। साक्ष्य हेतु शपथ पत्र किस्तूरी देवी पत्नी स्व. रामप्रसाद, ज्ञानचंद मेहरा पुत्र स्व. श्री मूलचंद , श्री रघुवीर पुत्र श्री रामसहाय के साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किये। शपथ पत्र पर दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये।

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अपने पत्रांक 8700 दिनांक 26.08.2025 से रिपोर्ट पेश की एवं विवरण अंकित किया कि ग्राम मुकरपुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 82 किता 27 कुल रकबा 3.17 है. में प्रार्थिया अपने पति का नाम रामप्रताप पुत्र रामसहाय के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र रामसहाय जाति बैरवा करवाना चाहती है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने अवगत करवाया कि रामप्रसाद एवं रामप्रताप एक ही व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मृतक खातेदार के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मृतक का नाम रामप्रसाद पुत्र रामसहाय दर्ज है। प्रार्थिया के आधार कार्ड एवं PPO आदेश में भी पति का नाम रामप्रसाद दर्ज है। ग्राम मुकरपुरा में उपरोक्त भूमि में रामसहाय की विरासत के नामा. संख्या 169 तस्दीक दिनांक 30.05.1992 में खातेदार का नाम रामप्रताप पुत्र रामसहाय दर्ज रिकार्ड है।

प्रकरण में वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। वादीगण वकील बहस पर मनन करने, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 82 पुराना 77 के आराजी ख0न0 201, 202, 209 लगायत 218, 308 लगा0 311, 313 लगा0 323 कुल किता 27 कुल रकबा 3.13 है0 में रामप्रसाद व रामप्रताप एक व्यक्ति है आदि तथ्यों की जांच कर यदि एक ही व्यक्ति है तो रामप्रताप को हजफ कर उसके स्थान पर रामप्रसाद पुत्र रामसहाय दर्ज किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि में मजाहमत पैदा करने एवं रहनबय करने से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

28/10/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)